| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>**निगरानी/टीए/3141/2005/चुरू**<br>**हंसराज बनाम चतराराम** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

एकलपीठ

डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर, सदस्य

उपस्थित

श्री के.के.पुरोहित, अभिभाषक प्रार्थी।

श्री दूनीचंद डिंढारिया, अभिभाषक अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक 26–10–2023

यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–5–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 53 के तहत प्रस्तुत किया जिसके साथ अधिनियम की धारा 212 का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 595/28 रकबा 34 बीघा पैतृक सम्पत्ति है जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थी का बराबर का हिस्सा है । अप्रार्थी संख्या 2 के पिता द्वारा जरिए मुख्त्यारआम भूमि का विक्रय दिनांक 19–4–2003 को कर दिया जिसके कारण उक्त विक्रयनामा फर्जी है क्योंकि प्रार्थी का उक्त विवादित भूमि में जन्म से हिस्सा है । इसलिए विक्रय पत्र शून्य व बेअसर है। अतः वादग्रस्त आराजी के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति के आदेश दिए जावे । उपखण्ड अधिकारी, सरदारशहर द्वारा उभय पक्ष की बहस सुनने के पश्चात् अपने निर्णय दिनांक 25–6–2004 द्वारा प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज कर दिया । उक्त निर्णय के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा प्रथम अपील भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 10–5–2005 द्वारा अपील खारिज कर दी । उक्त निर्णय के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3– उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस निगरानी पर सुनी गई ।

4– प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस में कथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त योग्य है । उनका कथन है कि प्रार्थीगण का

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>**निगरानी/टीए/3141/2005/चुरू**<br>**हंसराज बनाम चतराराम** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | विवादित भूमि पर जन्म से हित निहित है एवं भूमि पैतृक होने से जब कि विधिवत बंटवारा नहीं हो जाता तब तक प्रार्थी के पिता द्वारा अप्रार्थी के पिता को जो विक्रय किया गया है, वह विधिसम्मत नही है। विवादित भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा है। अप्रार्थी द्वारा कब्जे बाबत कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है । प्रार्थी एक अनपढ व्यक्ति है, जिससे धोखे से पावर आफ एर्टोनी पर हस्ताक्षर करवाए गए है एवं इसी के आधार पर बेचान किया गया है, जो शून्य होने से निरस्त योग्य था। लेकिन दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने इस पर गौर नहीं कर विधिसम्मत निर्णय पारित नहीं किया है, जो निगरानी के माध्यम से निरस्त किए जाने योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार की जावे<br>5— अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के अनुरूप है । उनका कथन है कि उनके द्वारा उचित प्रतिफल देकर प्रार्थी के पिता से विवादित भूमि क्रय की है एवं जिसके आधार पर वे काबिज है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय समवर्ती निष्कर्षो पर आधारित हैं। निगरानी का क्षेत्र सीमित है एवं अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश में निगरानी के स्तर पर हस्तक्षेप का कोई औचित्य नहीं है । अतः निगरानी खारिज की जावे।<br>6— हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी एवं मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावली का अवलोकन किया।<br>7— हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी/वादीगण द्वारा उपखण्ड अधिकारी के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 व 188 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध वाद प्रस्तुत किया। जिसके साथ धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया गया । धारा 212 के तीनों तत्व यथा प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन, अपूर्णनीय क्षति प्रार्थी के विरूद्ध दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रमाणित मानकर अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना—पत्र खारिज किया है । अप्रार्थी की हैसियत एक विक्रय पत्र के आधार पर क्रेता की है जिसने उचित प्रतिफल देकर विवादित भूमि का कब्जा प्राप्त किया है जबकि प्रार्थी विवादित भूमि में पिता की सम्पत्ति में अपना अधिकार के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराना चाहता है । पिता द्वारा अपने जीवनकाल में सम्पत्ति के हस्तातंरण को विधिसम्मत मानकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निर्णय पारित किए हैं । अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा सभी दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन करने पर यह अंकन किया है कि वादग्रस्त भूमि का विक्रय पत्र दिनांक 19—4—2003 | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>**निगरानी/टीए/3141/2005/चुरू**<br>**हंसराज बनाम चतराराम** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

के आधार पर सद्भावी क्रेता होने से उसे विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है एवं अपील निरस्त कर विचारण न्यायालय के निर्णय को यथावत रखा है । इस संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 230 मूलतः इस प्रकार है–

**230- Power of the Board to call for cases**- The Board may call for the record of any cases decided by any subordinate revenue court in which no appeal lies either to the Board or to a civil court under section 239 and if such court appears-

(a) to have exercised jurisdictions not vested in it by law:or

(b) to have failed to exercise jurisdictions so vested :or

(c) to have acted in the exercise of its jurisdictions illegally or with material irregularity.

Board may pass such orders in the cases as it thinks fit.

उक्त धारा में यह प्रावधित किया है कि जब निचले न्यायालय द्वारा कोई अधिकारिता संबंधी या प्रक्रिया संबंधी त्रुटि की जाती है तो पुनरीक्षण होता है। जब उपलब्ध सभी उपचार समाप्त हो जावे, तभी पुनरीक्षण किया जा सकता है। पुनरीक्षण की शक्ति पक्षकार का अधिकार नहीं है। यह न्यायालय का स्वविवेकाधिकार है। पुनरीक्षण की शक्ति सदा विवेकाधीन होती है। इसमें केवल यही देखना होता है कि निचले न्यायालय ने अधिकारिता के बाहर जाकर कार्य किया है या प्रक्रिया के पालन में त्रुटियां की है। उक्त प्रावधानों के मध्यनजर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में हमें कोई तथ्यात्मक या क्षेत्राधिकारिता संबंधी कोई त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है जिससे कि निगरानी के माध्यम से उक्त आदेशों में हस्तक्षेप किया जा सके। अतः निगरानी सारहीन होने से निरस्त योग्य है ।

8– उक्त विवेचन के आधार पर निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है ।

पत्रावली बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर )

सदस्य